मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

दिनांक 07.02.2024 को अपराह्न 03:15 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो.सय्यद नजमुल हसन, **अध्यक्ष**
   प्रोफेसर, विज्ञान संकाय
2. डॉ.शगुफ़्ता परवीन, **सदस्य / संयोजक**
   हिन्दी अधिकारी, हिन्दी प्रकोष्ठ
3. प्रो. पठान रहीम खान, **सदस्य**
   प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
4. डॉ.अश्वनी, **सदस्य**
   एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
5. डॉ. शाहिद जमाल, **सदस्य**
   सहायक प्रोफेसर, दक्कन अध्ययन केन्द्र
6. डॉ.बोस्का भाग्यम्मा, **सदस्य**
   सहायक प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

सर्व-प्रथम संयोजक महोदया द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :-

बिंदु सं.1. हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा की गई पिछली गतिविधियों का पुनरावलोकन।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिन्दी अधिकारी(राजभाषा अधिकारी) द्वारा हिन्दी प्रकोष्ठ की पूर्व गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय का वर्ष 2022-23 का 26वां वार्षिक लेखा तथा 25वां वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी में अनुवाद कर संबंधित अनुभाग को प्रस्तुत किया गया।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी पारंगत पाठ्यक्रम के सातवें बैच (जुलाई-नवंबर, 2023) के सभी प्रशिक्षार्थियों ने पारंगत परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की तथा हिन्दी पारंगत के आठवें बैच (जनवरी-मई, 2024 सत्र) की कक्षाएं आरंभ हो चुकी है।
- सूचित किया गया कि, सभी अनुभागाध्यक्षों को अनुभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन से संबंधित परिपत्र परिचालित कर दिया गया है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं, आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, मानक मसौदों आदि को द्विभाषी रूप में तैयार कर समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है।
- सूचित किया गया कि, प्रशासनिक भवन के कुछ कार्यालयों के हिन्दी नामों की वर्तनी में जो त्रुटियां थी वह सही करने हेतु हिन्दी में अनुवाद करके इंजीनियरिंग अनुभाग को सौंप दिए गए है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की हिन्दी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

बिंदु सं. 2. विश्वविद्यालय के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि, शिक्षा मंत्रालय, राजभाषा विभाग , नई दिल्ली निर्देशानुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) से संबंधित परिपत्र जारी कर सभी विभागाध्यक्षों को विभाग के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने हेतु अनुरोध किया जाए तथा हिन्दी प्राज्ञ तथा पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी भी अपना सहयोग प्रदान करें।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि, अनुभाग अध्यक्ष अपने कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के लिए नामांकित करें।

सदस्यों का सुझाव था कि, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन होगा।

सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सभी रजिस्टरों/फाइलों को द्विभाषी रूप में मुद्रित करवाने का प्रयास किया जाए।

अनुभाग अध्यक्षों के पत्र-शीर्ष द्विभाषी रूप में तैयार कर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा चुके है।

बिंदु सं. 3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में चर्चा।

समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया गया कि, दिसंबर, 2023 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

बिंदु सं.4. अध्यक्ष की आज्ञा से कोई भी अन्य मद।

- यह सुझाव दिया गया कि द्विभाषी प्रशासनिक शब्दकोशों की खरीद की जानी चाहिए और सभी अनुभाग प्रमुखों को वितरित किया जाना चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए, राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) के सदस्यों को विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अनुभागों का दौरा करना चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि मानू वेबसाइट के हिंदी संस्करण के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।
- कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति(ओएलआईसी) को विश्वविद्यालय में हिंदी में अनुवादित सामग्री का डेटा बेस बनाना चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि विवरण-पुस्तिका(प्रॉस्पेक्टस) में उल्लिखित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों का हिंदी में भी अनुवाद किया जाना चाहिए।
- डॉ. अश्वनी ने सुझाव दिया कि मानू द्वारा हिंदी में एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जानी चाहिए। उपस्थित सदस्यों ने कहा कि यह सुझाव अच्छा है और पूरी तरह से अकादमिक है, और इसलिए इसे हिंदी प्रकोष्ठ के बजाय हिंदी विभाग द्वारा लिया जाना चाहिए क्योंकि यह हिंदी प्रकोष्ठ के दायरे में नहीं आता है। हिंदी प्रकोष्ठ , गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त निर्देशों/वार्षिक कार्य योजना का पालन करता है जो मुख्य रूप से राजभाषा (हिंदी) के कार्यान्वयन और विभिन्न आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रभावी उपयोग पर केंद्रित है।

धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

हिन्दी अधिकारी
सदस्य एवं संयोजक
मानू, हैदराबाद